संख्या-01/2016/06/52-2-16-2(57)/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कानपुरनगर, बागपत, मेरठ, बरेली,मिर्जापुर एवं भदोही।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 जनवरी, 2016

विषय- अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रक्षित प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति देने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1075/व0आ0-31(88)/2014 दिनांक 07-12-2015, तथा पत्र संख्या-1089/व0आ0-31(88)/2014 दिनांक 18-12-2015, एवं जिलाधिकारी बागपत के पत्रांक-278/अ0स0क0/कब्रिस्तान बाउण्डीवाल-2015 दिनांक 30.11.2015, जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या-1653/अ0स0क0/कब्रिस्तान/2015-16 दिनांक 03.12.2015, जिलाधिकारी, बरेली के पत्र संख्या-1993/अ0स0क0/कब्रिस्तान/2015-16 दिनांक 04.12.2015 एवं जिलाधिकारी भदोही के पत्र संख्या-1869/अ0स0क0/कब्रिस्तान/2015-16 दिनांक 02.12.2015 तथा शासनादेश संख्या-1378/52-2-2014-2(57)/14 दिनांक 16-10-2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 की 50 प्रतिशत प्रथम/द्वितीय किश्त की कुल धनराशि रू0 1137.325 लाख (रू0 ग्यारह करोड सैतीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) जो डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रखी है, को निम्नलिखित विवरण के अनुसार पी0एल0ए0 से अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी पी0एल0ए0 में रखी धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने के पूर्व वित्तीय वर्ष 2013-14 की अवशेष द्वितीय किश्त एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम किश्त से कराये गये कार्यो की उपयोगिता/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रश्नगत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे व अवमुक्त की जा रही धनराशि से कराये जा रहे निर्माण कार्य की उपयोगिता/गुणवत्ता की नियमित समीक्षा अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करेंगे:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित कुल धनराशि(लाख रूपये में)	डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि धनराशि(रू0 लाख) में	डी0आर0डी0ए0 के पी0 एल0 ए0 से अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)	किश्त प्रथम /द्वितीय)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	कानपुर नगर	445.42	222.71	222.71	II
2	बागपत	191.82	95.91	95.91	II
3	मेरठ	641.64	641.64	320.82	I
4	बरेली	791.88	395.94	395.94	II
5	मिर्जापुर	101.02	50.51	50.51	II
6	भदोही	102.87	102.87	51.435	I
7	योग			1137.325 लाख	

(रू0 ग्यारह करोड सैतीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र)

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-96/दस-2016,दिनांक 25 जनवरी 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव ।

संख्या-/01/2016/06/(1)/52-2-16तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

I- सर्वे आयुक्त वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- मुख्य विकास अधिकारी कानपुरनगर, बागपत, मेरठ, बरेली,मिर्जापुर एवं भदोही।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुरनगर, बागपत, मेरठ, बरेली,मिर्जापुर एवं भदोही।
8- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-11
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in